न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

R-3151-III/14 प्रकरण क्र : . ...

01. धापू बाई पुत्री किश्ना जी, आयु वयस्क
निवासी ग्राम पिपलिया, तहसील चाचौड़ा,
ज़िला गुना (म.प्र.)

02. रूकमणी बाई पुत्री किश्ना जी, आयु वयस्क
निवासी ग्राम महाराजखेड़ा, तहसील ब्यावरा,
ज़िला राजगढ़ .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

अमर सिंह आत्मज किश्ना जी, जाति लोढ़ा
निवासी ग्राम गंगाहोनी, तहसील ब्यावरा
ज़िला राजगढ़ .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.2014, जो प्रकरण क्रमांक 18/अ–27/13–14 में न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील ब्यावरा, ज़िला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गंगाहोनी, तहसील ब्यावरा, ज़िला राजगढ़ स्थित भूमि खसरा क्रमांक 427, 428, 501/2, कुल क़िता 03, कुल रकबा 1.947 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व में, राजस्व अभिलेखों में बहिस्सा बराबर दर्ज़ है।

02. यह कि, प्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का खाता पृथक किये जाने हेतु एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 का न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, मलावर वृत्त, तहसील ब्यावरा, ज़िला राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जो उक्त न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 18/अ–28/13–14 पर दर्ज़ किया जाकर प्रतिप्रार्थी को उक्त प्रकरण में आहुत किया गया।

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
२५, हरि निवास दुर्गा चौक
तलैया, भोपाल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./3151/तीन/2014 जिला राजगढ़

धापूबाई आदि विरुद्ध अमरसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार ब्यावरा, जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक-18/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 07/06/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 29/5/19 सदस्य	